10 Rs. COURT FEE १० रु. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 Rs. COURT FEE ५ रु. भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

99

CP151

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /05 R1757-II/05

श्री के०के० द्विवेदी अभि० द्वारा आज दि० 17.10.05 को प्रस्तुत।
CP 81105
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
17 OCT 2005

ओमप्रकाश पुत्र रामरतन सीरोठिया
निवासी वार्ड नं. 14 गोहद
जिला भिण्ड म.प्र.

..... आवेदक

विरुद्ध

1. कालीचरन पुत्र ओछेलाल ब्रा.
2. संतोष
3. बनवारीलाल पुत्रगण ओमप्रकाश
नि.गण वार्ड नं. 15 कस्बा गोहद परगना
गोहद जिला भिण्ड
4. द्वारिका प्रसाद पुत्र गौरीशंकर सीरोठिया
निवासी गोहद चौराहा वार्ड नं. 17
गोहद जिला भिण्ड
5. बलवीर पुत्र कैलाश
6 रामसेवक
7. राधेश्याम
8. मुन्नालाल पुत्रगण रामरतन सीरोठिया
9. मु. भागवती बेवा विश्वम्भर दयाल
10. मनीषा पुत्री विश्वम्भर दयाल नाबालिग
सर मां भागवती स्वयं
11. बहादुर पुत्र लरनामसिंह गुर्जर
निवासी-गोहद परगना-गोहद
जिला भिण्ड

.... अनावेदकगण

1.10.05
K.K. DWIVEDI
Advocate

क्र....

क्र...3

R 1757-II/05

/ 2 /

न्यायालय कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण
क्रं. 25/02-03 नि.या. में पारित आदेश
दिनांक 18.4.05 के विरूध म.प्र. भू.राजस्व
संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण.

मामले के संक्षिप्त तथ्य:

1. यह कि, अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी कि अनावेदकगणों द्वारा जो नामांतरण आदेश तहसील न्यायालय से कराय गया है फर्जी है अतः इस कारण ऐसे नामांतरण आदेश की अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है और ऐसी विचाराधीन अपील में स्थगन आदेश है। अतः ऐसे स्थगन आदेश के होते हुये विचारण न्यायालय द्वारा बटवारा कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस वैधानिक बिन्दु पर विचार किये बिना जो आदेश विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया है नितांत अवैध और अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि, जब विवादित भूमि के संबंध में अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है तब ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा जो भी कार्यवाही की जायेगी वह न्यायलय के अवमानना में होगी अतः ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायलय के अपना स्वत्व सिद्ध कराने के लिये पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था जो नहीं दियागया अतः ऐसे आदेश अपास्त किये जाने योग्यहै।

4. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश मात्र परिसीमा के तकनीकी बिन्दु पर पारित किया गया है जबकि न्यायालय को

क्रं...3

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1757–दो/05 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.2.17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर जिला भिण्ड के प्रकरण कमांक 25/02–03/निग0मा0 में पारित आदेश दिनांक 18–4–05 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि विवादित भूमि के संबंध में अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जाना न्यायालय की अवमानना होगी । अधीनस्थ न्यायालय को व्यवहार न्यायालय से स्वत्व सिद्ध कराने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तकनीकि बिंदु पर आदेश पारित किया गया है जबकि प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर करना चाहिए था । आवेदक के अधिवक्ता को कोई सूचना आदेश की नहीं दी गई ऐसी स्थिति में जानकारी दिनांक से गणना की जायेगी इस बिंदु को अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा किया है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के	

R. 1757. 11/05

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक प्रकरण में एकपक्षीय हैं ।

5/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी आवेदक द्वारा विलंब से पेश की गई है, विलंब क्षमा के संबंध में कोई आवेदन पेश नहीं किया गया है उक्त कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की निगरानी को अवधि बाह्य मानकर निरस्त किया गया है । आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष भी अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी विलंब से प्रस्तुत करने के संबंध में कोई समाधानकारक कारण नहीं बताया गया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

पक्षकार सूचित हों एवं अभिलेख वापिस हो ।

सदस्य